

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की तामील में
जारी हुय

नरेश कुमार / अमिप्रकाश

08/05/24

पत्रावली पेश हुई वकील अभयपत्रकारान् उपस्थित।
 वकील प्रतीक शौराण बटस निवेदन किया कि ग्राह डीपी,
 सहयोगी दुकान के बगलवर्ती सपट 2075-78 के खारा
 संख्या 07 के खसरा नम्बर 139 रकबा 0.62 H,
 खसरा 200/0.62, 24/4.23 H, 25/2.12 H,
 26/0.05 H, 27/2.45 H कुल कित 6 रकबा
 9.69 वादी के हिस्सा 1/20 वर्ग रिक्त है। उम्मा
 दाद वरिष्ठ भूमि का खारा विभाजन का दावा
 न्यायालय में विचाराधीन है लेकिन प्रतिवादी संख्या
 1 लगायत 3 के द्वारा खिता भूमि का रूपांतरण
 करके दुकानों का निर्माण कार्य जबरन कर रहे हैं।
 अतः प्रतिवादी संख्या 1-3 को जरिए अस्थायी
 निषेधाज्ञा से पाबन्द करमाया जावे। इन्ही

वकील अप्रार्थी ने बटस पेश की वादीगण / प्रतीक
 अपने हिस्से की भूमि में मकान, दुकान, गैरख
 बना रखे हैं तथा प्रतिवादी सप. 3 लगायत न
 के नी निर्माण कर रखा है तथा प्रति सप. 1 व 2
 ने भी दुकान, मकान, रूप, बगीची निर्माण कर
 रखा है इसलिए उनके खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा
 जारी नहीं की जा सकती। वादी ने अपने भाइयों के
 साथ मिलकर दावा उभारी सपट उर्फ सपट
 बगल अमिप्रकाश आदि प्रस्तुत कर रखा है उम्मा
 साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रतीक पत्र पेश किया
 था जो माननीय RAA व माननीय राजस्व मण्डल
 तक निर्गम हो चुके हैं इन्ही

अभयपत्रकारान् की बटस व रिक्ति के आधार पर
 मुझे सहकार्य के बिना स्थिति निषेधाज्ञा नहीं
 जारी जा सकती तथा विभाजन का दावा दावा
 पेश है अतः दिनांक 05/01/24 को जारी अस्थायी
 निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। फौजला सर झालास
 दुगाभा तथा पगावली फौजला दुगाभा के नम्बर
 से कम हो इन्ही

